IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्त्तमान संदर्भ में बालिका उत्पीड़न के बदलते आयाम के प्रति छात्राओं की मनोवृत्ति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]अर्चना कुमारी एवं [2]डॉ0 कुमारी सरोज

[1]शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, नीतीश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश : वर्तमान समय में बालिका उत्पीड़न के प्रति घंटे लगभग 49 मामले दर्ज होते हैं भारत में। हमारे देश की भविष्य को संजोने वाली आधी आबादी अभी भी सामाजिक सम्मान, स्वतंत्रता तथा सुदृढ़ता की भागीदारी नहीं बन पाई है।

वर्तमान समय में बालिकाओं के साथ उत्पीड़न के आयामों में कई स्तरों पर नई स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। उत्पीड़न के प्रति छात्राओं की मनोवृत्ति विभिन्न अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग रूप में प्रकट होती है। ऑनर–किलिंग तथा अश्लील विडियो, हिंसा के नए स्वरूप तथा मीटू बदलते आयाम हैं।

कूट शब्द : उत्पीड़न, उन्मूलन, आयाम, मनोवृत्ति, ऑनर किलिंग, मीटू।

प्रस्तावना : वर्तमान संदर्भ में यदि बालिका उत्पीड़न को परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि उत्पीड़न, व्यक्ति, समूहों या समुदायों की वह मनोवृत्ति है जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग रूप में प्रकट होती है। उत्पीड़न के प्रत्यक्षीकरण के अवसरों की विभिन्नता और उसके स्वरूप के संबंध में कोई एक राय नहीं होने के कारण इसे परिभाषा के दायरे में सीमित करना संभव नहीं हो पाता है। मसलन साम्प्रदायिक दंगों और आगजनी में जहाँ इसका कारण धार्मिक असहिष्णुता को माना जाता है तो परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर उत्पीड़न काफी हद तक सामाजिक उत्पीड़न का प्रतिफल माना जाता है। उत्पीड़न एक व्यक्ति, समूह, समुदाय या विचारधारा का दूसरे पर अधिकार बनाये रखने का माध्यम है जिसमें शक्ति का प्रयोग क्रूरतम तरीकों से होता है।

बालिका उत्पीड़न मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है जिसकी अवधारणा का विकास सभ्यता की दिशा में मनुष्य के क्रमिक उन्नति से संभव होता रहा है। समाज, परिवार या व्यक्तिगत स्तर पर उत्पीड़न न हो यह सबसे आदर्श और अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग सभी स्तरों पर सभ्यता के आरंभ से वर्तमान समय तक बालिका उत्पीड़न अपने बदलते स्वरूप में मौजूद है। बालिकाओं का उत्पीड़न और हिंसा हर वर्ग विभाजित समाज की एक आम पहचान है। कविता कृष्णन उत्पीड़न एवं हिंसा के बारे में लिखती हैं कि, ''असल में उत्पीड़न एवं हिंसा बालिकाओं पर पितृसत्तात्मक अनुशासन थोपने का एक तरीका है जो बालिकाएँ इस अनुशासन का विरोध करती है। उन्हें उनकी घृष्टता पर उत्पीड़न के द्वारा दंडित किया जाता है। मैत्रेयी कृष्णाराज उत्पीड़न के बारे में लिखती हैं कि ''उत्पीड़न एक के उपर दूसरे के अधिकार को बनाये रखने की पीड़ादायक प्रक्रिया है जो शक्ति के बोध का अहसास कराने या साबित करने का श्रेणी है।

आजकल बालिका उत्पीड़न के तरीकों में संचार तंत्र का प्रयोग काफी हो गया है जिसमें, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के व्यापक प्रयोग के कारण साईबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं जो अपराधों की एक नई श्रेणी है। संचार तकनीक तक सुलभ पहुँच ही असामाजिक तत्वों, व अपराधियों द्वारा

अनुचित प्रयोग इंटरनेट और सोशल मीडिया को संवेदनशील बना दिया है। आज असामाजिक, अनैतिक, अपराधिक गतिविधियाँ करने और शांति भंग करने के लिए इन्टरनेट का प्रयोग हो रहा है जो स्वस्थ्य समाज के लिए चुनौती है। संचार तकनीक तथा इंटरनेट के द्वारा बालिका उत्पीड़न की घटना को रोकने के लिए सरकारी प्रयास के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 प्रभाव में आया जिसके द्वारा वे सभी गतिविधि व क्रिया–कलाप को अपराध के श्रेणी में रखा गया है जो समाज के दृष्टि में अनैतिक है या उत्पीड़न है। सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बालिका उत्पीड़न से संबंधित अपराध निम्न प्रकार का है।

(1) साइबर पीछा करना या बालिका उत्पीड़न
(2) साइबर प्रतिरूपित
(3) साइबर दृश्यरतिकता
(4) साइबर अश्लील फोटो सामग्री आदि का प्रयोग।

जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म के द्वारा आक्रामक संदेश भेजता है या सही पता आवासीय सूचना या संपर्क ब्योरों के साथ सामाजिक नेटवर्किंग साईट पर झूठी प्रोफाइल बनाता है। परन्तु उसे अश्लील रूप में अंकित करता है जो समाज में स्वीकृत नहीं होता है। वह अपराध या उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

साईबर प्रतिरूपित :– जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी कम्पनी के नाम पर झूठी वेबसाइट बनाकर उसमें अपने को कर्मी साबित करता है और उसमें किसी बालिका को उसके सहमति या अनुमति के बिना उपयोग किया जाता है तो यह उत्पीड़न के श्रेणी में आता है।

साईबर दृश्यरचिकता :– जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालिका के निजिता का अतिक्रमण करते हुए उसका चित्र खींचता है या फोटो खींचता है। एम. एम. ए. आदि बनाता है या जब बालिका स्नान कर रही है या वस्त्र बदल रही है ऐसे चित्रों को उसने सहमति के बिना प्रकाशित करती है तो यह उत्पीड़न के श्रेणी में आता है।

साईबर अश्लील सामग्री :– जब अश्लील सामग्री किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालिका को हस्तगत कराया जाता है जिसमें उसके मन एवं भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है, उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

भारत के संविधान में लैंगिक समानता का अवधारना प्रतिष्ठापित है। संविधान बालिकाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, अपितु बालिकाओं के समक्ष संचयी सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक उदासीनता को बेअसर करने के लिए बालिकाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेदन के उपायों को अपनाने के लिए सरकार को अधिकृत भी करता है। बालिकाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने और कानून के अधीन समान संरक्षण प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह प्रत्येक नागरिक पर बालिकाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रभावों को उन्मूलन करने के लिए मौलिक कर्त्तव्य भी है। समाज में बालिका उत्पीड़न को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिससे उनके अन्दर चेतना जागृत हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अपने लोगों नए समाज की ओर के माध्यम से आम जन–मानस में यह संदेश प्रेषित करता है कि हमें प्राचीन व कुंठित भावना को अब त्याग करना चाहिए और लैंगिक भेद–भाव को जड़ से समाप्त करना चाहिए। मंत्रालय अपने विजन में बालिका उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जो सराहनीय प्रयास है। वह प्रयास करता है कि एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण में बालिकाओं का सुपोषण और खुशहाल विकास सुनिश्चित करना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए नीतियाँ, कार्य योजना, कानून का निर्माण किया जा रहा है। बालिका उत्पीड़न उन्मूलन की दिशा में संघ एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिनियम बनते रहे हैं उसी दिशा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निरंतर रूप से निवेदन किया जाता रहा है। बाल–विवाह की रोकथाम तथा बालिकाओं का संरक्षण एवं उत्पीड़न का उन्मूलन राष्ट्रीय बाल कार्य

योजना 2016 का एक प्रमुख उद्देश्य है। बालिका उत्पीड़न तथा बाल विवाह के मुद्दे के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने तथा उत्पीड़न जैसे घटना को केन्द्र में रख कर कार्यक्रम द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाया गया है। उत्पीड़ित बालिकाओं को यह पता नहीं होता है कि वह सहायता के लिए कहाँ जाए। उनके लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेन्टर (ओ.एस.सी.) स्थापित किए गए है। यह सखी सेन्टर के नाम से लोकप्रिय है जो उत्पीड़न से प्रभावित बालिकाओं को पुलिस, कानूनी, चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है तथा साथ ही अस्थायी आश्रय सहित सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

बालिकाओं का अवैध व्यापार से बचाने के लिए उज्ज्वला स्कीम :– उज्ज्वला स्कीम बालिकाओं का अवैध व्यापार के माध्यम से उत्पीड़न रोकने का व्यापक स्कीम है। यह योजना वाणिज्यिक यौन उत्पीड़न के लिए बालिकाओं का अवैध व्यापार रोकने, पीड़ितों के बचाव को अनुकूल बनाने तथा उनको सुरक्षित संरक्षण में रखने व आवश्यक आवश्यकताओं की सामग्री की व्यवस्था करते हुए पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया है।

(1) सामुदायिक जागरूकता समूहों का गठन, जागरूकता के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
(2) शोषण व उत्पीड़न के स्थान से बालिका को सुरक्षित बाहर निकालना।
(3) उत्पीड़ित बालिका का समाज में पुनः एकीकरण करना।

उपरोक्त सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रयास व चेतना के बावजूद आज भी समाज में बालिका उत्पीड़न बदले स्वरूप में विद्यमान है जो हमारे स्वस्थ्य समाज के लिए कलंक है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

(1) वर्त्तमान समय में बालिका उत्पीड़न के बदलते आयाम का विश्लेषण करना।
(2) सरकारी प्रयासों का विश्लेषण करना।
(3) उन्मूलन के प्रति छात्राओं की मनोवृत्ति का विश्लेषण करना।

(1) वर्त्तमान समय में बालिका उत्पीड़न के बदलते आयाम

वर्तमान समय में समाज सुधारकों द्वारा बालिका उत्पीड़न के विरूद्ध तमाम समस्याओं को सामाजिक समस्या के रूप में देखा तथा उसके समाधान व उन्मूलन के लिए संघर्ष भी किया। भारतीय जनमानस के दृष्टिकोणों को विश्लेषित करते हैं तो उनकी दोहरी चरित्र उजागर होती है यह कि बालिकाओं पर घर के बाहर होने वाले जुल्मों की निंदा करते है जबकि घर के अन्दर होनेवाले उत्पीड़न की निंदा नहीं करते हैं।

बालिका उत्पीड़न के आयाम–शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न से संबंधित आज कल प्रायः देखे जाते हैं। वही दूसरी ओर जाति, धर्म, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, लैंगिंक अवस्थिति और निशक्तता की स्थिति पर भी उत्पीड़न अनुभव करती है।

शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित निम्न व्यवहार आते है :– थूकना, थप्पड़ मारना, पिटाई करना, चिकोटी काटना, बाँह मरोड़ना, खरोंचना, काटना, पकड़ना, ठोकर मारना, आघात करना, धक्का मारना, जानबूझकर अनावरण करना, बाल खींचना, समान फेंकना, अश्लील इशारा करना।

मानसिक उत्पीड़न :– हिंसा या नुकसान की धमकी, अकेलापन, अपमान करना, पिछली गलतियों को याद दिलाना, आलोचना करना, नकारात्मक गतिविधियों को उजागर करना, अवसरों से वंचित करना।

आर्थिक उत्पीड़न :– जरूरत की वस्तु के लिए भी उन्हें पैसा नहीं देना, परिवार में लड़के एवं लड़कियों को अलग–अलग प्रोत्साहन राशि वितरण करना आदि।

यौन उत्पीड़न :– लिंग संबंधी तथ्यों के आधार पर पीड़ादायक दुर्व्यवहार करना।

भावनात्मक उत्पीड़न :– हेय दृष्टि से देखना, उपेक्षा करना, समान स्थिति में समान सम्मान नहीं देना, आजकल मल्टी मीडिया का सहारा लेकर बालिकाओं के अश्लील फोटो तथाा वीडियो बना लिये जाते हैं तथा इनके द्वारा उन्हें भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है।

जाति :– समाज में उत्पीड़न की घटना में जातिगत श्रेणी की भी भूमिका होती है। अक्सर देखा जाता है। सामाजिक व्यवहारों में जातिगत श्रेणी भी उत्पीड़न के स्वरूप पैदा करते हैं तथा भेद–भाव पीड़ा का कारण होता है।

धर्म :– धार्मिक विद्वेष के आधार पर भी बालिकाओं के साथ उत्पीड़न होता है। खासकर दंगे के समय।

निशक्तता :– निशक्कता की स्थिति में भी बालिकाओं के साथ उत्पीड़न होता है क्योंकि वे सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी न किसी व्यक्ति पर आश्रित होते हैं। व्यक्ति उस परिस्थिति का लाभ उठाकर बालिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं जिससे बालिका उत्पीड़ित होती है।

(2) **सरकारी प्रयासों का विश्लेषण** :– बालिका उत्पीड़न को रोकने तथा उन्मूलन हेतु सरकार ने समय–समय पर अनेक कानून बनाये हैं जिसके माध्यम से उत्पीड़न की घटना को कम किया जा सके। सरकारी प्रयास के साथ–साथ अनेको स्वयं सेवी संस्था ने भी इस दिशा में सहयोग किया है जिसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। बालिकाओं के साथ निम्न प्रकार की घटना घटती है :–

(1) तेजाब हमला
(2) यौन उत्पीड़न
(3) निर्वस्त्र करना
(4) छिप कर देखना
(5) पीछा करना
(6) अपहरण करना
(7) मानव तस्करी
(8) बलात्संग
(9) लज्जा भंग करना

इन अपराधों को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिताएँ 1860 में निम्नलिखित धाराओं का उपबंध किया गया है।

(1) अगर किसी बालिका पर तेजाब से हमला होती है तो धारा 326 क के अन्तर्गत दंड का विधान है। जिसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।
(2) यौन उत्पीड़न की घटना में धारा 354 क का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत कठोर कारावास का प्रावधान है।
(3) निवस्त्र करने पर धारा 354 ख का प्रावधान है जिसमें सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
(4) छिपकर देखना से संबंधित घटना पर धारा 354 ग के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।
(5) पीछा करना से संबंधित घटना पर 354 घ का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत अगर किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों के माध्यम से भी किसी बालिका का निगरानी किया जाता है तो वे भी इस धारा के अन्तर्गत दंड के भागीदार होगा।
(6) अपहरण धारा 361 के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाता है।
(7) मानव तस्करी धारा 370 अगर कोई व्यक्ति किसी बालिका का उत्पीड़न तथा शोषण के उद्देश्य से धमकी देकर, बलपूर्वक या बहला–फुसलाकर या धोखाधरी से ले जाता है तो उसे इस धारा के अन्तर्गत कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
(8) बलात्संग के लिए धारा 376 का प्रावधान किया गया है जिसमें सात वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
(9) अश्लील कार्य या गाना बजाना धारा 294 के अन्तर्गत आता है। अगर किसी बालिका के साथ इस प्रकार की हरकत किया जाता है तो उसे इस प्रावधान के अन्तर्गत सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।

घरेलु हिंसा तथा उत्पीड़न से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 :– यह अधिनियम निजी क्षेत्र तथा बालिकाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है।

(3) उन्मूलन के प्रति छात्राओं की मनोवृत्ति :–

- विद्यालय के सभी कार्यरत कर्मचारियों को लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 की विहित धारा 19 (1) एवं 2 में विहित प्रावधान जो समस्त कार्मिकों को दायित्व बद्ध करते हैं को सख्ती से पालन हेतु पाबन्द किया जाए।
- विद्यालय में बालिकाओं को गुड–टच, बैड–टच की जानकारी देने हेतु प्रश्नोत्तरी कविता, लघु नाटक, पोस्टर व कहानी इत्यादि के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय में होनेवाली अध्यापक अभिभावक बैठक में अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों की सूक्ष्म गतिविधि एवं उनके व्यवहार पर नजर रखने तथा पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों से बालिका उत्पीड़न से सावधान रहने के संबंध में परिचर्या की जानी चाहिए।
- बालिकाओं के मध्य स्वास्थ्य व स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।
- विद्यालय परिसर में चिन्हित स्थान पर लिखित चेतावनी के साथ सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं शिकायत पेटी लगनी चाहिए।
- विद्यालय परिसर में सूचना पट्ट पर Child Help Line से संबंधित दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाए।
- विद्यालय के प्रधान तथा समाज के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि लैंगिक समानता के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने तथा विद्यालय में भयमुक्त एवं विभेदमुक्त वातावरण के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करना चाहिए।

अध्ययन का औचित्य :–

बालिका उत्पीड़न समाज के विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार है जो सभ्य समाज के लिए कलंक है तथा उसके स्वस्थ्य वातावरण को दूषित भी करता है। यह मानवता के विरूद्ध होनेवाला जघन्य अपराधों में से एक है। इस अपराध ने वैसे मन पर कुठाराघात करता है जो अभी अपनी जीवन को सही ढंग से समझ भी नहीं पायी है। अभिलाषा और अरमान के विकसित होने से पहले ही कुंठित कर दिया जा रहा है। असभ्य लोगों द्वारा वर्तमान समय में बालिका उत्पीड़न के नये–नये स्वरूप सामने आने लगे हैं। रिश्ता तार–तार होने लगे हैं। बालिकाएँ असुरक्षित महसुस करती है। अपने कोमल मन की भाव को प्रकट नहीं होने देती है। समाज तथा संस्था के रसूखदारों के सामने। अत्याधुनिक संचार व्यवस्था ने बालिका उत्पीड़न की घटना को नये स्वरूप में गति प्रदान की है। एक ओर जहाँ इसका प्रयोग अपराधियों को नियंत्रित करने में किया जाता है वहीं अपराधियों एवं समाज के गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग उत्पीड़न में किया जाता है। आये दिन देश व समाज में अनेक बालिका उत्पीड़न की घटना घटित होती है जब हम उसकी विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक घटना में कुछ समानता तो कुछ असमानता होती है। यही असमानता में नये–नये अपराध के स्वरूप व आयाम सम्मिलित होते हैं। जिसे स्पष्ट करने का प्रयास शोधार्थी के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है।

निष्कर्ष :–

बालिकाओं के उत्पीड़न का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि एक ओर सरकार द्वारा नये–नये प्रावधान व कानून बन रहे हैं वहीं, अपराध की प्रतिशत भी सापेक्षिक रूप से बढ़ रही है जिससे लोगों में सही संदेश नहीं जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अभिभावक अपने लड़कियों को दूर स्थान पर पढ़ने या पेशागत प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं यह भय व्याप्त रहता है कि बालिकाओं के साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए। एक ओर बालिकाएँ आज पढ़–लिखकर अच्छे से अच्छे ओहदे को प्राप्त कर रही हैं, जो उनके मन में चेतना व जागरूकता पैदा करती है। शिक्षा प्राप्ति हेतु तथा समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु इस विरोधाभास की स्थिति में बालिकाओं की मनोवृत्ति स्पष्ट रूप से यह रेखांकित करती है कि सरकार, समाज तथा संस्था प्रधान के द्वारा निरंतर रूप से जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाना चाहिए तथा सरकारी स्तर पर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो जिससे उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के मन में भय पैदा हो और वह इस प्रकार की क्रिया–कलाप नहीं कर जिससे एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके।

संदर्भ– सूची

[1] एरलिन स्टेन, सेक्सुअलिटी एण्ड जेंडर, ऑक्सफोर्ड ब्लेकवेल, 2002

[2] सुन्दरिया राजेन्द्र प्रसाद, महिलाएँ एवं घरेलु हिंसा, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012

[3] शर्मा रमा व मिश्रा एम. के., भारतीय समाज में नारी–अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010

[4] वृंदा कारात, भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति ग्रंथ, शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

[5] चारू गुप्ता, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2012

[6] मैत्रीय कृष्णाराज और गोविन्द केलकर, वूमेन एण्ड वायलंस ए सेमिनार रिपोर्ट, अइलोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, नं–12, 23 मार्च 1985